रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 363] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 1986/भाद्र 18, 1908
No. 363] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 1986/BHADRA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1986

का. आ. 662(अ) —केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 36, उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वाहनों के पंजीकरण को अधिकतम सुरक्षित लदान भार तथा ट्रेलर के आयामों सहित अनुमोदन प्रदान करता है :

अनुसूची

1. ट्रैक्टर की चैसिस संख्या	60705		
2. ट्रैक्टर की इंजन संख्या	आर एम 4336		
3. ट्रैलर की चैसिस संख्या	एच ई डब्ल्यू; डब्ल्यू टी 0006		
4. सुझाया गया भार			
लदान रहित भार	46.4 टन		
आय भार	220 टन		
कुल लदान भार	266.4 टन		
5. आयाम	कुल लम्बाई	48.704	मीटर
	कुल चौड़ाई	3.210	मीटर
	कुल ऊंचाई	3.380	मीटर
6. वाहन का प्रकार	गोल्डहोफर, टीयरिंग टाइप ट्रेलर मैसर्स मीरा इंजीनियरिंग वर्क्स एंड 6×4 थ्रोनी क्राफ्ट अन्तर ट्रैक्टर द्वारा निर्मित है।		
7 स्वामित्व	सुरेश कुमार लारी ट्रांसपोर्ट, मद्रास		

उपर्युक्त छूट ऊपर विवेचित आर्टिकुलेटिड वाहनों के संदर्भ में, अधिभार नियत करने के उद्देश्य से निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी गई है :—

1) राज्य सरकार द्वारा इंगित मार्गों के सभी स्ट्रक्चर क्योंकि असुरक्षित हैं अतः उन पर विभागीय इंजीनियरों की संतुष्टि के अनुसार गतिरोधक अथवा दिशा निर्देश बनाए जाएं।

2) राष्ट्रीय राजमार्ग न. 4 के शहर की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी मौजूद स्ट्रक्चरों पर गतिरोधक बनाए जाएं। जब भी इन गतिरोधकों की मरम्मत का कार्य किया जाए तो हारिजान्टल रनर्स तथा स्टील प्लेटों सहित साथ-साथ मिली हुई स्टील क्रिब्स का प्रयोग किया जाए ताकि लोड ट्रांसमिशन में एक रूपता रहे।

3) सड़क पर गतिरोधक तथा दिशा निर्देश बनाने का कार्य ट्रांसपोर्टर के अपने जोखिम व लागत पर तथा इस विभाग के विभागीय इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार किया जाए।

4) ट्रांजिट के दौरान राजमार्ग एंव ग्रामीण कार्य विभाग का प्रतिनिधि भी लिया जाए जो सहायक विभागीय इंजीनियर से निम्न पद का न हो। ट्रांसपोर्टर द्वारा पायलटिंग प्रबन्ध किया जाए।

5) वाहन की चालन क्षमता का पता लगाने के लिए स्ट्रक्चरों पर गतिरोधक का कार्य पूरा होने के पश्चात परीक्षण हेतु खाली स्थिति में वाहन का एक चक्कर लगाया जाए।

6) वाहन के आवागमन के कार्यक्रम की सूचना सम्बद्ध विभागीय इंजीनियरों को कम से कम 10 दिन पहले दे दी जाए तथा उनकी क्लीयरेंस भी ली जाए।

7) सड़क की सतह के टूट फूट हो जाने की दशा में ट्रांसपोर्टरों के अपने जोखिम और लागत पर उसकी उचित मरम्मत का कार्य किया जाए।

8) यह आश्वस्त किया जाए कि इस वाहन के चलते समय कोई अन्य वाहन सड़क पर न हो।

9) अधिकतम एक्सिल भार तथा न्यूनतम लदान भार अनुसूची में दी गई सीमाओं से अधिक न हो।

10) कुल लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 48.704 मी०, 3.210 मी., 3.380 मी. से अधिक नहीं हो।

11) ट्रांजिट के दौरान उक्त कम्बीनेशन्ज अथवा उनके कान्टैन्टस द्वारा की जाने वाली क्षति के लिए राजमार्ग एवं ग्रामीण कार्य विभाग उत्तरदायी नहीं है।

12) वाहनों के आवागमन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सड़क एवं सड़क स्ट्रक्चर को सभी टूट फूट के लिए कंपनी जिम्मेदार होगी तथा वह राजमार्ग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मूल्यांकित की गई सभी क्षतियों के लिए उत्तरदायी होगी।

13) उक्त वाहन ट्रैफिक की सामान्य गति के साथ बिना किसी रुकावट के चलाया जा सकता है।

14) वाहनों की एक्स्ट्रीमिटीज का स्पष्टतया संकेत करने के लिए सभी आवश्यक चेतावनी सिग्नलों यथा दिन में लाल झंडी और रात्रि में लाल बत्तियों की व्यवस्था की जाए।

15) स्वीकृत अनुमति अब केवल सड़कों के उन्हीं भागों पर लागू होगी जो राजमार्ग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के न्यायाधिकार के अंतर्गत आती हैं तथा स्थानीय निकायों एवं अन्य विभागों से सम्बद्ध सड़कों और सड़क स्ट्रक्चरों पर अपने वाहनों के प्रचालन की अनुमति संबंधित प्राधिकारियों की कंपनी द्वारा ली जाए।

16) यह अनुमति इस आदेश के जारी होने की तिथि से केवल एक वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होनी चाहिए।

17) वाहनों के लिए इस अनुमति की मंजूरी राजमार्गों एवं ग्रामीण कार्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों को इन वाहनों के आवागमन को स्थगित करने अथवा विनियमित करने की छूट नहीं देती जो सड़क एवं सड़क स्ट्रक्चरों की दशा को ध्यान में रखते हुए स्थिति की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं।

18) यह अनुमति इस शर्त में स्वीकार की गई है कि आवेदक को मंजूर किए गए अधिकतर भार के लिए अतिरिक्त कर भी अदा करना होगा।

[आर टी-11011/7/86 ; टी एजी]
बी. आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 1986

S.O. 662(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 36 of Motor Vehicles Act, 1939, the Central Government hereby accords approval to the registration of following vehicles with the maximum safe laden weight and dimensions of the trailer mentioned in the schedule appended hereto :—

SCHEDULE

1. Chassis number of tractor	60705	
2. Engine number of tractor	RM4336	
3. Chassis number of trailer	HEW-WT-0006.	
4. Recommended load :		
Unladen weight	46.4 tonnes.	
Pay load	220 tonnes.	
GLW	266.4 tonnes.	
5. Dimensions	Overall length 48.704 mts. Overall width 3.210 mts. Overall height 3.380 mts.	
6. Type of vehicle	Lowbed, tearing type trailer manufactured by M/s Meera Engineering Works and 6×4 Throny Craft Antar tractor.	
7. Owned by :	Suresh Kumar Lorry Transport, Madras.	

2. The above relaxation for the purpose of assigning higher weight limit in respect of the articulated vehicles the description of which is indicated above, is given on the basis of following conditions :—

(1) All the structures on the routes indicated by the State Government being unsafe shall be propped or diversion formed to the satisfaction of Departmental Engineers.

(2) All the existing structures within City limit of NH4 should be propped. Whenever propping is restored to, it shall be done with closely packed steel cribs with horizontal runners and steel plates so as to ensure uniform load transmission.

(3) Propping of the structures or formation of diversion road should be done by the transport at his risk and cost and to the satisfaction of the Divisional Engineers of this Department.

(4) A representative of Highways and Rural Works Department not below the rank of Asstt. Divisional Engineer should be taken along during the transit. Piloting arrangements should be made by the transporter.

(5) For assessing the manoeurability of the vehicle, a trial run in empty condition should be made after carrying out propping of structures.

(6) The programme of movement of the vehicle should be intimated at least ten days in advance to the Divisional Engineers concerned and their clearance should be obtained.

(7) In the event of damages to the road crust, proper rectification should be carried out by the transporters at his risk and cost.

(8) It should be ensured that no other vehicle is on the structure while this vehicle is moved.

(9) The maximum axle weight and minimum laden weight shall not exceed the limits indicated in the schedule.

(10) The overall length, width, height shall not be more than 48.704m, 3.210m, 3.380 m. respectively.

(11) The Highways and Rural Works Department is not responsible for any damage that may be sustained either by the said combination or their contents during the transit.

(12) The Company shall be responsible for all damages caused to the road and the road structures either directly or indirectly due to the movement of the vehicles and they shall be liable for all damages as assessed by the Highways and Rural Works Department.

(13) The said vehicles shall be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

(14) All the necessary warning signals such as red flag in the day time and red lights in the night time shall be provided to indicate the extremities of the vehicles clearly.

(15) The permission granted now shall apply only to the portions of the roads lying within the jurisdiction of Highways and Rural Works Department and permission for plying their vehicles over roads and road structures vested with the local bodies and other departments in the route if any has to be obtained by the Company from the concerned authorities.

(16) This permission shall be valid only for a period of one year from the date of issue of this order.

(17) The grant of this permission to vehicles does not prevent the local officers of Highways and Rural Works Department from regulating or stopping the movement of these vehicles depending upon the exigencies of the situations and having regard to the condition of the road and road structures.

(18) This permission is granted on condition that the petitioner should pay additional tax also for the higher weight permitted.

[RT-11011/7/86-TAG]

B.R. CHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986